दिनांक	न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बापिणी प्रकरण संख्या :– बनाम	रिमार्क
5/25	वादी उपस्थित/अनुपस्थित। वादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। प्रतिवादी उपस्थित/अनुपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। वादी/प्रार्थी अभिभाषक ने प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर नोट प्रेस किया/विड्रो किया/खारिज करने का निवेदन किया गया। उक्त आधारों पर बाद/प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सदस्य बैच संख्या –3 रा.लोक अ. केम्प लोहावट अध्यक्ष बैच संख्या –3 रा.लोक अ. केम्प लोहावट	Not press N.R.

Reader 3 26/5/202

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA Re.1 एक रुपया ONE RUPEE

सेवामें,

श्रीमान् सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, बापिणी।

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः— /2023

प्रार्थीः— लक्ष्मणसिंह पुत्र मंगलसिंह आयु 60 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी बापिणी, तहसील बापिणी, जिला फलोदी।

बनाम

अप्रार्थीगणः—

1. उगमसिंह पुत्र श्री मंगलसिंह, जाति राजपूत, निवासी बापिणी खुर्द, तहसील बापिणी, जिला फलोदी।
2. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार बापिणी।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (दो सौ बारह) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

मान्यवरजी,

प्रार्थी की ओर से निवेदन निम्न प्रकार हैः—

1. यह है कि प्रार्थी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय हाजा में बहुत ही मजबूत आधारों पर पेश कर रखा है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की प्रबल सम्भावना है।

2. यह हैं कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 384 (तीन सौ चौरासी) रकबा 15.2323 (पन्द्रह दशमलव दो तीन दो तीन) हैक्टेयर, मौजा ग्राम भादा, पटवार हल्का बेदू तहसील बापिणी जिला फलोदी की सरहद में आई हुई है। जो

आगे के पदों में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित की जायेगी। चालु जमाबन्दी व नक्शे की नकलें साथ में पेश है।

3. यह है कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का 1/10 (एक बट्टा दस) हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 (एक) का 1/10 (एक बट्टा दस) हिस्सा है जो संलग्न जमाबन्दी से स्पष्ट है।

4. यह है कि उपरोक्त वर्णित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 (एक) व अन्य की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका मौके पर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार विभाजन किया हुआ है तथा नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये गये भू–भाग पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है जो ग्राम बापिणी की सरहद के पास स्थित है। प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि का मौके पर कब्जा काश्त एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार विभाजन करवाने हेतु कई बार कहा लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 (एक) प्रार्थी को तरह–तरह के बहाने बताते रहे जिसे प्रार्थी हकीकत समझाता रहा। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 (एक) वादग्रस्त भूमि का मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन नहीं करवाना चाहता है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि से करीब 15 (पन्द्रह) किलोमीटर दूर अन्य भूमि में रहता है। जिसका फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 1 (एक) नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि पर दखलंदाजी करता रहता है तथा कब्जा करने हेतु उतारू रहता है।

5. यह है कि हाल ही में दिनांक 21.09.2023 (इक्कीस सितम्बर दो हजार तेबीस) को प्रार्थी वादग्रस्त भूमि की देखभाल हेतु मौके पर गया तो देखा कि अप्रार्थी संख्या 1 (एक) प्रार्थी के हक हिस्से व कब्जा काश्त सुदा भूमि में तविया निकाल रहा था तब प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 (एक) को वादग्रस्त भूमि में अपने हक हिस्से व

कब्जा काश्त सुदा भूमि में तविया निकालने से अप्रार्थी संख्या 1 (एक) को मना किया तथा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार राजस्व रेकर्ड में विभाजन करवाने हेतु कहा तो अप्रार्थी संख्या 1 (एक) ने कहा कि मैं इस पूरी भूमि पर कब्जा करूंगा तथा राजस्व रेकर्ड में विभाजन नहीं करवाउंगा तब प्रार्थी ने गांव मुख्यान के द्वारा भी अप्रार्थी संख्या 1 (एक) से समझाईश की कोशिश परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 (एक) नहीं मान रहा है तथा प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में विभाजन करवाने से मना कर दिया तथा मौके से अपने हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने की धमकियां दे रहा है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 (एक) को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है।

6. यह है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 (एक) व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका मौके पर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार विभाजन किया हुआ है तथा इसी अनुसार प्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है।

7. यह है कि वादग्रस्त भूमि का मौके पर विभाजन किया हुआ है उसी अनुसार प्रार्थी राजस्व रेकर्ड में विभाजन करवाना चाहता है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 (एक) मौके पर कब्जे काश्त अनुसार राजस्व रेकर्ड में विभाजन नहीं करवाना चाहते है तथा मौके से प्रार्थी को बेदखल करना चाहते है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 (एक) ने प्रार्थी को अपने हक अधिकार व कब्जा काश्त सुदा भूमि से बेदखल कर जबरन कब्जा कर लिया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति

रूपयो पैसो में नहीं की जा सकेगी। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बनता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि वाद के निस्तारण तक अस्थाई बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 (एक) इस आशय की जारी की जावें कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 384 (तीन सौ चौरासी) रकबा 15.2323 (पन्द्रह दशमलव दो तीन दो तीन) हैक्टेयर, मौजा ग्राम भादा, पटवार हल्का बेदू, तहसील बापिणी जिला फलोदी में प्रार्थी के 1/10 (एक बट्टा दस) हिस्से की भूमि जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से मार्क की हुई है, उसमें अप्रार्थी संख्या 1 (एक) किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावें, प्रार्थी को बेदखल नहीं करें और न ही किसी अन्य से करावें मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

26/9/23

जरिये अधिवक्ता

प्रार्थी